राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1761 / SEIAA/2022
Date: 29-9-22

स्मरण–पत्र

प्रति,

जिला खनिज अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

विषय :– प्रकरण कमांक 9266/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स निशी कान्सट्रक्शन प्रो. श्री शुनील खर्चे, निवासी – वार्ड क. 15 गावंण्डे कालोनी सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14537 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 271 रकबा 2.123 हेक्टेयर, ग्राम जमालपानी, तहसील, सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्र. 1495 दिनांक 30.08.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसके माध्यम से प्रकरण पर **749वी** SEIAA **बैठक दिनांक 23.09.2022 में लिये गये निम्नानुसार निर्णय :–**

"..........उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा 743वी बैठक दिनांक 29.08.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया..........

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 589वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान से उत्तर दिशा में 50 मीटर एवं पूर्व दिशा में 25 मीटर पर पक्की सड़क तथा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) जिसके परिपालन में पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 100 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त न्यूनतम क्षेत्र पर खनन अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया कि जिला खनिज अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा से चाही गई उपरोक्त जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है अतः प्रकरण को Delist करते हुए जिला खनिज अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा को पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

उपरोक्त निर्णयानुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 100 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र पर खनन अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं के संबंध में स्पष्ट अभिमत 10 दिवस में प्रस्तुत किये जाने का लेख किया गया था किन्तु जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। कृपया उपरोक्त स्पष्ट अभिमत शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

O/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 1762 /SEIAA/2021 भोपाल दिनांक 29-9-22

प्रतिलिपि :–

1. जिला कलेकटर, जिला छिन्दवाडा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. मेसर्स निशी कान्सट्रक्शन प्रो. श्री शुनील खर्चे, निवासी – वार्ड क. 15 गावंण्डे कालोनी सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) की ओर सूचानार्थ।

O/c सदस्य सचिव